पत्र संख्या–14/निजी–1118/2025–   /सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।
प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15,दिनांक–   /01/2026

विषयः– **श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0–308/24 के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मंत्रिपरिषद के विघटन के फलस्वरूप श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0–308/24, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–19.11.2025 के अपराह्न के प्रभाव से आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार त्याग किया गया एवं दिनांक–19.11.2025 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–22484, दिनांक–03.12.2025 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 की सेवा माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1442, दिनांक–08.12.2025 द्वारा श्री कुमार को दिनांक–03.12.2025 के प्रभाव से माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1442, दिनांक–08.12.2025 के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–03.12.2025 के पूर्वाह्न के प्रभाव से अधिसूचित पद का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 दिनांक–20.11.2025 से दिनांक–02.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि में रहे।

4. अतः श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0–308/24, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का दिनांक–20.11.2025 से दिनांक–02.12.2025 तक की प्रभार रहित अवधि को मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

08.01.2026

5. उक्त अवधि में श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।

6. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/निजी–1118/2025– 659 /सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/01/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.01.2026
सरकार के उप सचिव।